संख्याः– 3824/57–म–96–10–7(27)/84

प्रेषक,

दिनेश राय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
उत्तर–प्रदेश

मत्स्य उत्पादन अनुभोग लखनऊ दिनांक 03 सितम्बर,1996

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण की योजना के अन्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण का कार्य जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना के अनुसार सम्पादित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना के अन्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण का कार्य जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जा रहे है, आवासों के अनुसार कराया जाय। मछुआ आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों का चयन एवं निर्माण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

1. मछुआ आवास निर्माण हेतु जनपदों का चयन एवं लक्ष्य प्रदेश स्तर पर निदेशक मत्स्य द्वारा शासन के अनुमोदन से किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जनपदों के मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. ग्रामो का चयन, मत्स्य पालक विकास अभिकरणों द्वारा ग्रामों में मछुआ समुदाय के संख्या एवं उनकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुंए किया जायेगा। प्रयास यह होना चाहिए कि एक ग्राम में कम से कम 10 मछुआ आवास निर्मित हो।
3. मछुआ आवासों के स्थापना हेतु लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा तथा बैठक में सहायक निदेशक मत्स्य अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित रहेगे। उक्त कार्यवाही का अनुमोदन मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात धनराशि लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। मछुआ आवासों का निर्माण इदिरा आवास योजना की भांति ही लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा।
4. लाभार्थियों को भवनों के निर्माण से सम्बन्धित धनराशि तीन किश्तों में भुगतान की जायेगी। प्रथम किश्त लाभार्थियों द्वारा निर्माण हेतु, भूमि का चयन करने के पश्चात, दूसरी किश्त, छत तक निर्माण हो जाने के पश्चात तथा तीसरी एवं अन्तिम किश्त छत प्लास्टर कराने के पश्चात भुगतान की जायेगी।
5. भवनों के निर्माण के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ववत रहेगे। लाभार्थियों को यह छूट रहेगी कि वे भवनों के आकार में परिवर्तन कर सकते है, परन्तु प्लेन्थ एरिया निर्धारित मापदण्ड से कम नही होगा। लाभार्थी को यह छूट रहेगी कि भवन निर्माण में वह अपनी ओर से अतिरिक्त धनराशि लगा सकते है।
6. लाभार्थियों को धन उपलब्ध कराये जाने और उसका सही उपयोग सुनिश्चित किये जाने एवं लेखें के रख–रखाव का दायित्व सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण का होगा।
7. भवन निर्माण के समय तकनीकी मार्गदर्शन तथा भवन पूर्ण होने के पश्चात, निर्माण कार्य का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण इकाई द्वारा कराकर, प्रमाण–पत्र निदेशक मत्स्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. इस योजना से सम्बन्धित धनराशि का लेखा जोखा प्रदेश स्तर पर निदेशक मत्स्य द्वारा रखा जायेगा तथा वह सुनिश्चित करेगे कि योजना सुचारू रूप से कियान्वित हो रही है तथा समय–समय पर जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करेगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार अपने जिले से सम्बन्धित मछुआ आवासों के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने की व्यवस्था करे।

भवदीय

(दिनेश राय)
सचिव

संख्याः– 3824 / 57–म–96–10–7(27) / 84 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर–प्रदेश।
2– निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
4– समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
5– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।

आज्ञा से

(राम खेलावन)
संयुक्त सचिव